कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी झाँसी

पत्र संख्याः–आई–3/पेट्रोलपम्प/सी0एफ0ओ0/2018 दिनांक फरवरी 20, ,2021

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी

विषयः– मै0, रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड, एल्डिको कॉरपोरेट चैम्बर–2 9 फ्लोर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के मैनेजर द्वारा खसरा नं0– 422 ग्राम करारी, थाना सीपरी बाजार, तहसील व जिला झाँसी में प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जानें के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक 860/20–श0लि0/पेट्रोलियम/एन.ओ.सी–2021 दिनांक 10.02.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि मैसर्स रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड, एल्डिको कॉरपोरेट चैम्बर–2, 9 फ्लोर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के मैनेजर द्वारा खसरा नं0– 422 ग्राम करारी, थाना सीपरी बाजार, तहसील व जिला झाँसी पर प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से संलग्न मानचित्र का परीक्षण तथा स्थल का निरीक्षण मैसर्स के प्रतिनिधि के साथ किया गया तो स्थल झाँसी से ग्वालियर रोड पर प्रस्तावित है। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रिटेल आउटलेट व्यवस्थापन हेतु निम्न व्यवस्थायें एवं सुझाव वांछनीय है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव

1–वफर स्ट्रिप पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स के मानक के अनुसार बनाया जाय।
2–स्थल पर कैनोपी का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाय।
3–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रस्तुत मानचित्र में अंकित टिप्पणी जनरल नोट 01 से 17 तक, स्पेशल नोट 01 से 06 तक की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जाय जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैसर्स /प्रबंधक की होगी।
4– प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का सीमांकन नहीं किया गया है, के दृष्टिगत मैसर्स राकेश सिंह बघेल, पार्टनर एवं मुकेश मिश्रा, पार्टनर द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित/निर्धारित भूमि के ऊपर से कोई भी विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है तथा रिटेल आउटलेट के पीछे की तरफ की सीमा/बाउन्ड्री वाल से न्यूनतम 05 मीटर एवं अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक कोई विद्युत लाइन नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त के अनुसार रिटेल आउटलेट व्यवस्थापन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैसर्स/आवेदक की होगी तथा विपरीत तथ्य पाये जाने पर निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5– प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के बगल में इण्डियन ऑयल का रिटेल आउटलेट पम्प स्थापित है, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा एपेक्स इंजीनियर एण्ड कंस्ट्रक्शन की आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो संलग्न है, के सुझावों के अनुसार रिटेल आउटलेट का व्यवस्थापन किया जाना वांछनीय है तथा आवेदक/मैसर्स द्वारा इस सम्बन्ध में रिटेल आउटलेट व्यवस्थापन से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रबंधन से अनापत्ति/निरापदता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैसर्स/आवेदक की होगी अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

C.F.O.

For Reliance BP Mobility Limited
Authorized Signatory

6–पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स 2002 के प्रपत्र 14 में उल्लेखित तथा पेट्रोलियम एक्ट के चैप्टर पॉच के नियम 117, ओ0आई0एस0डी0 एवं अन्य सुसंगत नियमो के अनुसार व्यवस्थापन व सुरक्षा सम्बन्धी शर्तो एवं सुझावो का अक्षरशः पालन किया जाय।

7–आई0एस0 2190:1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स की व्यवस्था निम्न संख्या में की जाय।

ए–ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 कि0ग्रा–	06	अदद
बी–स्थल पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 लीटर–	01	अदद
सी–सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा–	01	अदद
डी–फायर बकेट (सैन्ड)–	06	अदद
ई– फायर बकेट (वाटर)–	06	अदद
एफ–ब्लैंकेट 1.20मी0 चौड़ा व 1.50मी लम्बा–	02	अदद
जी–प्रश्नगत स्थल पर पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक क्षमता 10,000 ली0–	01	अदद
एच–धूम्रपान निषेध का बोर्ड–	01	अदद

8–फायर स्टेशन झाँसी का टेलीफोन नम्बर 0510–2445124, सी0यू0जी0 नं0 9454418432 व आपातः 101, पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0–112 का बोर्ड– 01 अदद

अतः आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी निरीक्षण आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर उपरोक्तानुसार स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त/उपलब्ध होने के पश्चात् पेट्रोल/डीजल पम्प आउटलेट संचालन किये जाने एवं अनुमति देने, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन/मेसर्स सहित सभी सर्वसंबंधित की होगी, अन्यथा निर्गत संस्तुति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी, की शर्त पर निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– 1–अनुमोदित मानचित्र
2– एपेक्स इंजीनियर एण्ड कंस्ट्रक्शन की आख्या

18/07/24

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
झाँसी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
झाँसी

प्रतिलिपिः–

प्रबंधक/मैसर्स रिटेल आउटलेट खसरा नं0–422 ग्राम करारी थाना सीपरी बाजार तहसील व जिला झाँसी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

For Reliance BP Mobility Limited

Authorized Signatory